[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा स्पष्टीकरण देने दें। यह चार्जशीट है जिसे सी.बी.आई. ने एग्जिबिट किया है जो वीडियो कैसेट्स जमा की गई थीं, उनका हवाला दिया गया है, वह नं. 9 है जिसे मैं पढ़कर सुना देता हूं:

[अनुवाद]

मामला नं. आर सी 8 (एस)/92/एसआईयू-वी/एसआईसी-IV सी.बी.आई./नई दिल्ली के सम्बन्ध में वस्तुओं की सूची इस प्रकार है। इसमें कहा गया है:

> "9-6-12-92 को विवादित ढांचा गिराये जाने संबंधी घटनाओं के पूर्व और पश्चात् जैन स्टूडियो से एकत्रित वीडियो कैसेट और वी.सी.-9 के रूप में उल्लिखित कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और नेताओं के साक्षात्कार।"

[हिन्दी]

इसके अंदर उन तमाम चीजों को ला रहे हैं जिनमें इम्पार्टेंट लोगों के इंटरव्युज मौजूद हैं, वे दिये गये हैं और वे रिकार्ड पर हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठिये। मैंने आनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, कतिपय माननीय सदस्यों ने इस विषय पर भाषण दिए और उन्होंने सरकार के उत्तरदायित्व और जांच अभिकरणों विशेषकर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ऊपर टिप्पणी भी की है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जिस मामले की जांच को अपने जिम्मे लिया उस संबंध में उसके कार्य क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। अयोध्या मामले में आपराधिक अभियोजन से संबंधित मामलों में भी यही बात है।

किसका अभियोजन किया जाना है अभियुक्त का, किस धारा के अंतर्गत अभियोजन होगा, अभियुक्त के विरुद्ध कौन सा साक्ष्य है, इन सभी के बारे में एक जांच एजेन्सी के रूप में निर्णय लेने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो का है। इस मामले में अथवा केंद्रीय जांच ब्यूरो के विवेकाधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

मेरी सरकार का विश्वास है कि जांच एजेन्सियों को कानून के अनुसार कार्यवाही की पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। माननीय सदस्यों को याद होगा कि विनीत नारायण मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं बल्कि उसकी मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करती है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच संबंधी अधिकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम से प्राप्त होते हैं। इस अधिनियम की धारा 6 में विशेषरूप से इस बात का उल्लेख है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का कोई भी सदस्य किसी राज्य सरकार की सहमति के बिना, उस राज्य में अपने अधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के संबंध में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप केवल बजटीय समर्थन और प्रशासनिक पर्यवेक्षण तक ही सीमित रहता है।

जबकि अयोध्या मामले में मेरे कुछ प्रतिष्ठित सहयोगियों के विरुद्ध मुकदमें लम्बित हैं, लेकिन मेरी सरकार ने न तो उन मामलों को वापस लिया है और न ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण में हस्तक्षेप हेतु कोई कदम उठाया है। इन मामलों में न तो मैंने और न ही मेरे कार्यालय ने कभी हस्तक्षेप किया है।

अयोध्या के मामले न्यायालयों में लम्बित हैं। ये मामले काफी लम्बे समय से चले आ रहे हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास इन मामलों में कोई भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। मुकदमें के लम्बित रहने में न्याय का हित अन्तर्ग्रस्त है। न्याय के हित में यह जरूरी है कि दोषियों को दंड मिले और निर्दोष बरी हों। साक्ष्य का मूल्यांकन करना तथा निर्दोष या दोषी का निर्णय करना न्यायालय का काम है।

हाल में, मैंने संसद में दोषी या निर्दोष व्यक्तियों के बारे में चर्चा की बढ़ती हुई प्रवृति देखी है। यह नियमों के प्रतिकूल ही नहीं बल्कि यह कानून का उल्लंघन और स्वतंत्र विचारण में हस्तक्षेप भी है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए कि इस प्रक्रिया को अब रोका जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 6 अगस्त, 2003 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 6 अगस्त, 2003/15 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।